| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/1581/2023/अलवर**<br>**इदरीश बनाम असरू** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल–पीठ**
**श्री गौरव बजाड़, सदस्य**

**उपस्थितः–**

(1) श्री सी0पी0 पाराशर, अभिभाषक प्रार्थी।
(2) श्री अजीत लोढा, अभिभाषक अप्रार्थी।

**निर्णय**

**दिनांकः 02.07.2025**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 सपठित धारा 221 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, अलवर के प्रकरण सं0 119/2022 बउनवानी असरू बनाम रमजान में पारित आदेश दिनांक 07–02–2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। जिसमें जिला कलक्टर, अलवर द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से प्रार्थी का मुन्तकिली प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है।

2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति पर सुनी गई।

3– विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर उसमें अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क दिये है कि मौजूदा अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के न्यायालय से प्रकरण को उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिस पर मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा सहमति के आधार पर जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2023 द्वारा प्रकरण स्थानान्तरित कर दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। इनको 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत मण्डल में अपील करनी होगी। इस कारण उक्त विधिक आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है। निगराकार द्वारा जानबूझकर केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/1581/2023/अलवर**<br>**इदरीश बनाम असरू** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | अप्रार्थी सं0 1 जो कि जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर्ता है, के साथ आपस में दुर्भि संधि कर समय–समय पर विभिन्न न्यायालयों में निगरानी प्रस्तुत की जा रही है। मौजूदा अप्रार्थी द्वारा कन्टेस्ट कर उन्हें समय–समय पर खारिज करवाया जाकर प्रकरण के अंतिम निस्तारण में अनावश्यक रूप से विलम्ब किया जा रहा है।<br>अतः प्रार्थना पत्र प्राथमिक आपत्ति स्वीकार की जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जावे।<br>4– विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के तर्कों का विरोध करते हुए बहस में कथन किया है कि जिला कलक्टर, अलवर का आदेश न्याय, नियम व कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल निरस्तनीय है। जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है क्योंकि प्राकृतिक न्याय के तहत प्रत्येक हितबद्ध व्यक्ति को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र बेबुनियादी, बनावटी आधार पर प्रस्तुत किया था। जिसमें किसी भी प्रकार का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये। जिसके आधार पर तहत न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता हो। वास्तविकता यह है कि स्वयं वादी ने अप्रार्थी सं0 1 से दुर्भिसंधि करते हुए उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आपस में सहमति दर्शाते हुए प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करवाने के आदेश प्राप्त कर लिये जो कि न्यायोचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश नॉन स्पीकिंग एवं नॉन रिजण्ड आदेश है जो किसी भी न्यायिक आदेश की श्रेणी में नहीं आता है। अप्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की गई है जो निरस्त की जावे।<br>अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2023 को निरस्त किया जावे व अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति को भी खारिज किया जावे।<br>5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी। उस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया गया। | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/1581/2023/अलवर**<br>**इदरीश बनाम असरू** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान अप्रार्थी सं0 2 से 5 की ओर से एक राजस्व वाद विरूद्ध प्रार्थी विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के समक्ष प्रस्तुत किया। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा उक्त वाद के विचाराधीन रहते एक प्रार्थना पत्र जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष वाद को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 07–02–2023 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, तिजारा में विचाराधीन राजस्व वाद को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़बास में मुन्तकिल कर दिया। इसी आदेश के विरूद्ध निगराकार द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। अप्रार्थी द्वारा प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत कर मुख्य तर्क यही दिया है कि मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता द्वारा सहमति के आधार पर जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07–02–2023 द्वारा प्रकरण को स्थानान्तरित किया गया। धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र के विरूद्ध मण्डल में निगरानी पोषणीय नहीं है। धारा 233 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत मण्डल में अपील की जानी चाहिये थी। उक्त विधिक आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है।<br><br>न्याय प्रशासन का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायिक प्रक्रिया में पूर्ण विश्वसनीयता होनी चाहिये एवं किसी पक्षकार द्वारा उचित आधार पर किसी पीठासीन अधिकारी के निरपेक्ष होने के बारे में शंका उत्पन्न हो जाये तो ऐसे प्रकरण को दूसरे किसी अन्य पीठासीन अधिकारी के पास हस्तान्तरित किया जा सकता है परन्तु इसके साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों का समय पर निस्तारण करने का अहम कर्त्तव्य भी न्याय प्रशासन का है। इस परिप्रेक्ष्य में किसी पक्षकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती है कि वह असत्य एवं आधारहीन तथ्यों के आधार पर उपरोक्त न्यायिक सिद्धान्त का अनुचित लाभ देते हुए अधीनस्थ न्यायालय पर अनावश्यक आक्षेप लगाये, दबाव डाले एवं न्यायिक प्रक्रिया में रूकावट उत्पन्न करे। निगराकार द्वारा जानबूझकर केवल मात्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद में अप्रार्थी सं0 1 जो कि जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता है के साथ आपस में | |

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/1581/2023/अलवर**<br>**इदरीश बनाम असरू** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | दुर्भि संधि कर विभिन्न न्यायालयों में निगरानी प्रस्तुत करके मौजूदा अप्रार्थी द्वारा कन्टेस्ट कर उन्हें खारिज करवाया जा रहा है जो कि न्यायोचित नहीं है। जिला कलक्टर, अलवर द्वारा भी केवल एक पक्षकार को ही सुनकर उक्त आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कि विधिसम्मत् नहीं है। जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित आक्षेपित आदेश निरस्त योग्य है। इसलिए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी/निगराकार की निगरानी निरस्त योग्य है।<br>7– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्राथमिक आपत्ति आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रार्थी/निगराकार की निगरानी **खारिज** की जाती है एवं जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 07–02–2023 को भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त अनुसार सभी को सुनवायी का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय किये जाने के कारण न्यायहित में निरस्त किया जाता है।<br>8– पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वह उपखण्ड अधिकारी, तिजारा के न्यायालय में दिनांक 28–07–2025 को उपस्थित हों। यदि प्रस्तुत वाद की पत्रावली उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास को भिजवा दी गई हो तो उपखण्ड अधिकारी, किशनगढबास उक्त पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी, तिजारा को आवश्यक रूप से निर्धारित दिनांक 28–07–2025 से पूर्व भिजवाये। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय सभी पक्षों को सुनकर शीघ्र ही विधिसम्मत् निर्णय करें।<br>9– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो।<br>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>**(गौरव बजाड़)**<br>**सदस्य** | |